



# राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पंचाट-पत्र (एवार्ड)

स्थान का नाम ..... 0207017 न्यायालय भवन .....  
(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार  
..... द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवारी ..... State .....

विरुद्ध

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी ..... Baldev Kumar .....

वाद संख्या ..... Cr. 1785/2015 .....

उपस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम : Shri. Alok Kumar, JSM

गैर न्यायिक सदस्य का नाम : Vinod Kumar Sharma

2.

### अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद/मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

राष्ट्रीय लोक अदालत ने आपसी सुलझ के कारण  
उस वाद का विचारण रद्द कर दिया

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया है तो न्याय शुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

विमल कुमार  
याची / वादी / परिवारी

N.K. Sharma  
14.03.26  
सदस्य

सुभाष कुमार  
प्रतिवादी / प्रत्यर्थी  
रामजी शर्मा  
सदस्य

न्यायिक सदस्य

तारीख :-